भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1339

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गोपालगंज जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं

†1339. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोपालगंज जिले में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) और अन्य केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितनी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं;
(ख) क्या ये स्वास्थ्य सुविधाएं आपातकालीन और विशिष्ट चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से साधनयुक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार जिले के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी में सुधार लाने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) आपात स्थिति के दौरान स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है; और
(ङ) भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में और सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त नीतिगत और संस्थागत उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, गोपालगंज जिले में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 13 सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पैनलबद्ध हैं। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पताल सहित पैनलबद्ध सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, बिहार के गोपालगंज जिले में 227 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यशील हैं।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश भर में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करने और प्रसवोत्तर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलें/उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, पोषण और सामुदायिक

जागरूकता में सुधार करने तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवस्थाओं पर नजर रखने के लिए आउटरीच शिविर आयोजित किए गए हैं।

एनएचएम के अंतर्गत, भारत सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से, उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं, वृद्ध-जन देखभाल सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवा के अन्य मुद्दों की विस्तारित श्रृंखला शामिल हैं।

देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी कार्यशील एएएम पर उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ लोगों को उनके घरों के निकट विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे वास्तविक पहुँच और देखभाल की निरंतरता संबंधी चिंताएँ दूर होती हैं।

जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत नि:शुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है। नि:शुल्क निदान सेवा पहल के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर समुदाय के निकट सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाई के तहत जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों को उनके अधिकारों एवं पात्रताओं के प्रति सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच रणनीति है। इसमें समाचार पत्र, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियान और सामूहिक संदेश आदि सहित पारंपरिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन शामिल हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी अस्पतालों को प्रवेश तिथि के बाद 3 दिनों तक और सरकारी अस्पतालों को प्रवेश तिथि के बाद 5 दिनों तक पूर्व-अनुमोदन हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुविधा आपातकालीन स्थितियों में समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

योजना के लाभार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एबी-पीएमजेएवाई के तहत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का एक नेटवर्क पैनलबद्ध किया गया है। योजना के अंतर्गत, प्रत्येक स्वास्थ्य लाभ पैकेज के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) विकसित और प्रलेखित किए गए हैं। पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मानक उपचार दिशानिर्देशों के किसी भी प्रकार के विचलन की दावा प्रक्रिया के दौरान बारीकी से निगरानी की जाती है।
